(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2413–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–4–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 317/अ–27/2010–11.

1. मु. शान्ती बेवा पत्नी रामसुमन ब्रा0
2. सतीश कुमार
3. सारंगधर दोनों के पिता रामसुमन ब्रा0
4. सावित्री
5. सारिता पुत्री रामसुमन ब्रा0
   सभी निवासी ग्राम पकरा थाना व तहसील
   मउगंज जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

हीरालाल तनय मंगलदीन ब्रा0
निवासी ग्राम पकरा थाना/तह0
मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

श्री कमलेश्वर तिवारी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री लोकेश सिंह, अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06/04/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 317/अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15–4–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अपर कलेक्टर के आदेश में लिखे होने से दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में केवल यही विचारणीय बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मानने में उचित कार्यवाही की गई है अथवा नहीं?

अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि अनावेदक के हितधारी होने के बावजूद भी उसे बिना सूचना दिये एवं बिना जानकारी के तहसीलदार मंऊगज के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है जिससी जानकारी होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रकरण में मौजूद नहीं है। इसी कारण जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने समय–सीमा में मानकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब में हुये क्षमा करने में उचित कार्यवाही की है। अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तार से विवेचना कर प्रकरण को गुण–दोषों पर निराकरण हेतु ग्राह्य किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित वैधानिक आदेश को स्थिर रखने में विधिसम्मत कार्यवाही की है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है जिसके पश्चात प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकण होगा। चूंकि अभी प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गुण–दोषों पर निराकरण होना शेष है और इस न्यायालय में मात्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय–सीमा के बिन्दु पर पारित आदेश को ही चुनौती दी गई है इसलिए प्रकरण के गुण–दोषों पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा रहा है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 15–4–2013 स्थिर रखा जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उभय पक्षों को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण हेतु वापस भेजा जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर